दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 18/02/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि चक 16 पीबीएन के खाता सं. 32 के प.नं. 16/309, 16/310 की कुल 2.276 हैक्. मे से गिन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह के 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जिसमे से गिन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 18/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा